1

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
MN 05 SEP 2022 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1839)

Name of Candidate	Mithlesh Kumari		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	660130
Center	MN	Date	5-9-2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. An independent umbrella body that brings the various central investigative agencies under one roof holds the key to shoring up their credibility. Discuss. **(150 words) 10**

एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाता हो, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने की कुंजी है। विवेचना कीजिए।

वर्तमान में CBI, ED तथा NIA जैसी कई संस्थाएें भ्रष्टाचार तथा अनियमित आचरण की जाँच करती हैं।

स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय की छत के नीचे विभिन्न एजेंसियों को लाने की जरूरत क्यों है :—

i) सभी एजेंसियाँ अलग-अलग कानूनों से निर्मित है जिससे इनकी जाँच एवं कार्य-शैली भिन्न-भिन्न है।

ii) सभी एजेंसियों द्वारा साक्ष्य इकट्ठा करने के कारण साक्ष्यों की विश्वसनीयता कमजोर पड़ जाती है।

iii) विभिन्न निर्देशों के कारण जाँच प्रभावित होती है।

iv) लोगों में इन जाँच एजेंसियों को लेकर विश्वास का अभाव है तथा आए दिन इन पर राजनीतिक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

दुरुपयोग के आरोप लगते हैं।

v) CBI को तो 'पिंजरे बंद तोते' की संज्ञा दी जाती है।

स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय की विशेषता

i) एक विशेष संस्था का गठन जिसके तहत सभी जाँच एजेंसियाँ कार्य करे।
ii) स्पष्ट नियम एवं कानून।
iii) तकनीकी तथा नवाचार का प्रयोग
iv) अधिकारी तथा सदस्यों को विशेष अधिकार।

समय पर न्याय प्रदान करने तथा निष्पक्षतापूर्वक जाँच प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु सभी जाँच एजेंसियों में संशोधन कर एक अम्ब्रेला निकाय के अंतर्गत लाना आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Discuss the significance of the Doctrines of Pith and Substance and Colourable Legislation with respect to Centre-state relations in India. (150 words) 10

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में तत्व एवं सार के सिद्धांत और छद्म (आभासी) विधायन के सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए।

भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों तथा विधायन संबंधी आवश्यकताओं के लिए सातवीं अनुसूची में कार्यों का विभाजन किया गया है जिसमें तीन सूचियाँ हैं— केन्द्र सूची → 100 विषय, राज्य सूची → 52 विषय, समवर्ती सूची → 61 विषय।

विधायन का सिद्धान्त

तत्व एवं सार का सिद्धान्त।
↓
कोई भी विषय किस सूची के तहत आता है उसके अनुसार उसका निर्धारण। →
केन्द्र सूची का विषय है तो केन्द्र सरकार की अधिकारिता लागू होगी।

आभासी विधायन का सिद्धान्त
↓
जिस प्रयोजनहेतु शक्ति प्रदान की गई है उसका प्रयोग उसी कार्य के लिए किया गया है या उसकी आड़ में अन्य कार्य नहीं किए जा सकते अस्पष्टता का लाभ उठाकर।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

i) इन सिद्धान्तों के आधार पर किसी भी न्यायालय द्वारा विवाद की स्थिति में निर्णय देना आसान होता है।

ii) शक्तियों का निर्धारण उचित रूप से विभाजन।

iii) ~~शक्तियों~~ केन्द्र-राज्य संबंधों को मजबूती तथा अप्रत्याशित विवादों का समाधान।

यद्यपि निम्न सिद्धान्तों के बावजूद केन्द्र-राज्य संबंधों में विवाद उत्पन्न होते ~~रहते~~ है जिसके लिए सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा सरकारिया आयोग एवं पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Do you agree with the view that there should be simultaneous elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies in India? Discuss with suitable arguments. **(150 words) 10**

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ होने चाहिए? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

समय - समय पर विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों को साथ कराने हेतु सिफारिश की जाती रहती है।

लोकसभा तथा विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लाभ :-

i) चुनावी माहौल के कारण आदर्श आचार संहिता लगाये जाने से सरकारी कामकाज प्रभावित होता रहता है। जिसमें कमी आएगी।

ii) सरकार चुनाव प्रचारों में व्यस्त न रहकर लोकहित में कार्यों पर ध्यान देगी।

iii) धन एवं समय की बचत होगी।

iv) सरकारी मशीनरी का सदुपयोग होगा।

एकसाथ चुनाव कराने के ~~~~ उपर्युक्त लाभ होने के बावजूद इसकी कई हानियाँ भी है जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

* समस्याएँ
  - → क्षेत्रीय मुद्दों का कमजोर पड़ जाना।
  - → चुनावों का लहर का व्यक्ति केन्द्रित हो जाना।
  - → जनता को सरकार के प्रति विरोध दिखाने का अवसर पाँच साल ही मिलेगा।
  - → अन्यथा वह समय-समय पर होने वाले चुनावों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराती है।
  - → त्रिशंकु सरकार तथा मध्यावधि सरकारों के गिरने के दुराली स्थिति ही उत्पन्न होगी।

* आगे की राह :-
  - → देश को जोन्स में विभाजित करके जोन के अनुसार चुनाव करवाना
  - → पाँच में इन जोन्स में दो बार चुनाव करवाने जाने चाहिए।

इन सभी प्रावधानों के अलावा जनता में साक्षरता तथा जागरुकता में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे अपने मत का सदुपयोग सुनिश्चित कर सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Discuss the need for codification of parliamentary privileges in India, in light of the uncertainty and ambiguity around them. **(150 words) 10**

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में अनिश्चितता और अस्पष्टता के आलोक में, उनके संहिताकरण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

संविधान के अनुच्छेद -105 के तहत संसद सदस्यों को तथा अनुच्छेद -194 के तहत विधान सभाओं के सदस्यों को सामूहिक एवं व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्रदान किए है।

संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताकरण की आवश्यकता क्यों है:—

i) इन विशेषाधिकारों को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
→ भारत की परिस्थितियों के अनुकूल इनका निर्धारण आवश्यक है।

ii) कानूनों में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि इनके दुरुपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

iii) संसद या विधायिका के सत्रों के 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन पश्चात् तक सदस्यों को दीवानी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता (जिससे विवाद लंबित पड़े रहते है)

iv) विशेषाधिकारों की आड़ में आम जन के अधिकारों का हनन होता है)

इसलिए इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करते हुए कानूनों की स्पष्टता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि विवाद की स्थितियों में न्यायालयों द्वारा स्पष्ट सजा निर्धारित की जा सके तथा शक्ति संतुलन के सिद्धान्त को मजबूती मिल सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. While the Civil Services Board can be a step forward in making the Indian bureaucracy more effective, it has its own issues which need to be addressed. Analyse. **(150 words) 10**

हालांकि, सिविल सेवा बोर्ड भारतीय नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम हो सकता है, लेकिन इसके अपने मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी होता है जो सिविल सेवकों संबंधी मुद्दों तथा सुधारों की अनुशंसा करता है।

सिविल सेवा बोर्ड के मुद्दे :-

i) पर्याप्त शक्तियों का अभाव।

ii) संरचना तथा कार्यों में अनिश्चितता।

iii) राजनीतिक हस्तक्षेप।

iv) अस्पष्ट कार्यप्रणाली।

v) नवाचार की कमी।

सिविल सेवा बोर्ड के मुद्दों का समाधान किये जाने की आवश्यकता है ताकि इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की जा सके तथा भारतीय नौकरशाही को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कार्य किया जा सके।

नौकरशाही की समस्याओं का समाधान तथा उसकी कार्यप्रणाली में सुधारों हेतु सिविल सेवा बोर्ड की भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Highlight the potential of India Digital Ecosystem Architecture (IndEA) 2.0 in transforming the ecosystem of service delivery in India. **(150 words) 10**
भारत में सेवा वितरण के पारितंत्र को रूपांतरित करने में इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 की क्षमता पर प्रकाश डालिए।

ई-गवर्नेंस के बढ़ते प्रयोग के कारण लोगों तक सेवाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने हेतु नए-नए तरीके अपनाएँ जा रहे हैं।

इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर 2.0 (IndEA 2.0) की विशेषताएँ तथा क्षमताएँ:-

i) इसके तहत सभी सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा।

ii) लोगों तक सरकार की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित होगी।

iii) डाटा का भंडारण तथा सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

iv) शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

V) शासन में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होगी।

IndEA 2.0 की सफलता में बाधाएँ

- भारत की साक्षरता दर का 80% से भी कम होना
- डिजिटल डिवाइड
- गाँवों में डिजिटल अवसंरचना का अभाव
- लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना मुश्किल।
- प्रशासनिक मशीनरी में अपर्याप्त सुधार।

इन समस्याओं के सुधार हेतु सरकार द्वारा भारतनेट तथा PM दिशा योजना चलाई जा रही है। हाल ही में मेघालय ऐसा पहला राज्य बना है जिसने IndEA को MegEA के रूप में लागू किया है।

7. What is Civil Registration System? Highlight its importance and discuss the measures taken by the government to bring about improvements in it.
(150 words) 10

नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए और इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली के तहत भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों [इनमे वे विदेशी लोग भी शामिल है जो भारत में छः महीने से अधिक रुकना चाहते हैं।] को पंजीकरण कराना आवश्यक है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली का महत्व :-

- देश में निवासित जनसंख्या का आँकड़ा उपलब्ध होगा।
- योजनाओं का क्रियान्वयन आँकड़े के अनुसार किया जा सकेगा।
- अवैध आप्रवासियों तथा मूल निवासियों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान।
- कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना आसान होगा।
- भविष्य की नीतियों के निर्माण में सहायता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसमें सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय!-

- इसको आधार कार्ड से जोड़ना।
- One Nation one Ration Card ~~की~~ हेतु आँकड़ो का प्रयोग।
- प्रवासियों के डाटा की उपलब्धता हेतु प्रयास।

नागरिकों का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि उन तक ~~सरकार~~ की पहुँच आसानी से सुनिश्चित हो सके तथा COVID-19 जैसी महामारी के समय इन आँकड़ो का प्रयोग करके कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।

8. The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, provides an effective mechanism for empowerment of the intended beneficiaries in the society. Critically discuss. **(150 words) 10**

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 समाज में इच्छित लाभार्थियों के सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

हाथ से मैला उठाने वालों में वे व्यक्ति शामिल किए जाते है जो शुष्क शौचालयों तथा गंदगी की सफाई करते है। इनमें अधिकतर अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल होते है।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

i) इसके तहत हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

ii) उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाता है।

iii) मासिक / वार्षिक भुगतान एवं सुरक्षा।

iv) बच्चों को छात्रवृत्ति

v) बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था।

vi) आवास ~~एवं अन्य क्षेत्रों में नियोजन~~ की व्यवस्था।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यह अधिनियम इन कर्मियों को सहायता तथा इनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था करता है। किन्तु इसमे भी कुछ समस्याएँ है।

- ये लोग पिछड़े होते है तथा शिक्षा तक पहुँच नही होती व जिससे अन्य रोजगार प्राप्त नही कर पाते।
- इसलिए अन्य रोजगारो की व्यवस्था का अभाव इन्हें पुनः इसी कार्य मे धकेल देता है।

Dirty कार्यों के लिए रोबोट का उपयोग किया जाना चाहिए तथा इन कार्यों मे लगे लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करते हुए अन्य रोजगारों से जोड़ा जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Discuss the reforms that must be undertaken to strengthen the World Trade Organisation in order to address the vulnerabilities in the present global trading system. **(150 words) 10**

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उस पर किए जाने वाले सुधारों की विवेचना कीजिए।

WTO का गठन 1995 में GATT के स्थान पर वैश्विक व्यापार व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु किया गया था।

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली तथा WTO की समस्याएं :-

i) बढ़ता व्यापार संरक्षणवाद तथा मुद्रायुद्ध (अमेरिका तथा चीन के मध्य)

ii) WTO पर विकसित देशों का प्रभाव इसे विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा के लिए प्रेरित करता है।

iii) COVID-19 के कारण बाधित वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने में WTO की विफलता।

iv) WTO की विवाद निपटान समिति में नियुक्तियों में अमेरिका द्वारा अवरोध उत्पन्न करना।

v) विकसित देशों द्वारा वैश्वीकरण का लाभ उठाकर

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अब संरक्षणवाद को बढ़ावा देने से विकासशील देशों के हित प्रभावित हो रहे।

vi) टैरिफ-नॉन टैरिफ तथा फाइटोसेनेटरी शुल्कों के माध्यम से विकासशील देशों के व्यापार को विकसित देशों द्वारा हानि पहुँचाना।

इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु एक निष्पक्ष व्यापार तंत्र का गठन किया जाना आवश्यक है तथा WTO में सुधार करते हुए सभी देशों के हितों को सुनिश्चित करते हुए वैश्विक सप्लाई चेन को पुनः सुचारू रूप से स्थापित करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. State the significance of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Also, discuss the need for a legally binding Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) agreement.

(150 words) 10

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के महत्व का उल्लेख कीजिए। साथ ही, कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय अधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) समझौते की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

UNCLOS के तहत वैश्विक स्तर समुद्रों की सुरक्षा तथा विनियमन को निर्धारित किया जाता है।

UNCLOS का महत्व :-

i) समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण।

ii) समुद्रों में मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना।

iii) विभिन्न देशों को समुद्री संसाधनों के उपयोग की अनुमति देना।

↳ [UNCLOS द्वारा भारत को हिन्द महासागर में पॉली मेटालिक नोड्यूल्स के खनन की अनुमति दी है।]

iv) समुद्री सुरक्षा तथा आवागमन को सुनिश्चित करना एवं जहाजों की डंपिंग हेतु MARPOL जैसे समझौतों के साथ सहयोग करना।

कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता समझौतों की आवश्यकता :-

i) बढ़ते जलवायु परिवर्तन के खतरों ने समुद्री तापन में वृद्धि की है जिससे समुद्री जीवों की प्रजनन गतिविधियाँ प्रभावित हो रही।

ii) प्रशांत महासागर में ग्रेट पैसेफिक गारबेज पेच का समाधान।

iii) कोरल रीफ का विरंजन
- 70 प्रतिशत ऐसे है जिनका पुनरुद्धार किया जा सकता है
- 30 प्रतिशत तो विलुप्त हो चुके।

iv) जल चक्र को बनाए रखना तथा समुद्री जलवायु का संरक्षण आवश्यक है।

समुद्री क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों तथा कचरे की डंपिंग को Regulate किया जाना आवश्यक है तथा जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की आवृत्ति तथा तीव्रता में वृद्धि के कारण होने वाली जन-धन की हानि को न्यून किया जाना आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Critically assess the role played by the National Human Rights Commission as a watchdog of human rights violations in India. **(250 words) 15**
भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। जिसका कार्य मानवाधिकारों का संरक्षण करना है।

मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका :-

i) विभिन्न मुद्दों पर संज्ञान लेना।

ii) मानवाधिकारों का संरक्षण करना।

iii) विभिन्न वर्गों के हितों को सुरक्षित करना।

iv) न्यायालयों पर पड़ने वाले बोझ को कम करना।

v) शोषण से सुरक्षा प्रदान करना।

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पहले मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश ही होता था। किन्तु अभी इसमें सुधार किये गए है

→ अभी उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है।

किन्तु अभी भी मानवाधिकार आयोग के समक्ष कई समस्याऐं :-

i) इसके द्वारा की गई सिफारिशों को कम महत्व दिया जाता है।

ii) स्वत: संज्ञान लेकर मामलों का निपटारा नही कर सकता।

iii) मामलों के निपटारे हेतु शक्तियाँ कम प्राप्त है।

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) सदस्यों की समय पर नियुक्ति नहीं की जाती है

मानवाधिकार आयोग को नख-दन्त विहीन संस्था की संज्ञा दी जाती है इसलिए इसकी शक्तियों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है तथा मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके इसलिए इस आयोग को व्यापार एवं तकनीक से जोड़ना चाहिए।

12. Discuss how the integration of information and communications technology (ICT) in the dispute resolution processes will help in overcoming the challenges associated with the functioning of courts and Alternative Dispute Resolution (ADR) forums. **(250 words) 15**

विवेचना कीजिए कि विवाद समाधान प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का एकीकरण अदालतों एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंचों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में किस प्रकार सहायता करेगा।

वर्तमान में अदालतों में लगभग 4.6 करोड़ मामले लंबित है तथा लगभग 40% पद रिक्त है। ~~तथा~~ वैकल्पिक विवाद समाधानों के परिणाम भी आशानुरूप नही है।

ICT ~~की~~ एकीकरण के माध्यम से अदालतों तथा वैकल्पिक विवाद समाधान मंचों ~~के~~ कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान:-

i) कानूनी कार्यवाहियों का ऑनलाइन होना।
↳ तीव्र एवं समय पर न्याय को बढ़ावा।

ii) व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नही होगी।
↳ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ~~माध्यम~~

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

iii) एकल नेटग्रिड की स्थापना।
- विवादों संबंधी डाटा का संकलन
- एक जैसे विवादों की स्क्रूटनी।
- सभी विवादों का एक साथ समाधान।

iv) विभिन्न पक्षों की भूमिका में वृद्धि।

v) अदालतों में अपील के मामलों में कमी आएगी।
- केसो की पेन्डेन्सी घटेगी।

किन्तु ICT के प्रयोग से भिन्न समस्याएं उत्पन्न होंगी जैसे :—

i) डिजिटल डिवाइड का मुद्दा।
- जिनकी आर्थिक स्थिति निम्न है तथा जागरूकता की कमी है उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।

ii) साइबर सुरक्षा की चुनौती।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

iii) गोपनीयता को खतरा।

iv) आधारभूत अवसंरचना का अभाव।

तकनीक के युग का प्रसार होने से इसके प्रयोग में वृद्धि होना स्वभाविक है किन्तु इसके उत्पन्न होने वाले खतरों का समाधान खोजने पर बल दिया जाना चाहिए तथा CERT-IN की तरह अन्य संस्थाओं का निर्माण तथा साइबर पुलिस बल को मजबूत बनाने के साथ साइबर जागरूकता का प्रसार आवश्यक है

1839

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Despite various provisions concerning disqualification of legislators under The Representation of The People Act, 1951, the issue of criminalization of politics is still unresolved to a large extent in India. Discuss.

(250 words) 15

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विधायकों की निरर्हता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, भारत में राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा अभी भी काफी हद तक अनसुलझा है। विवेचना कीजिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनावों के संचालन हेतु प्रावधान तथा विधायकों की निरर्हता संबंधित उपाय किये गए है।

i) भ्रष्टाचार के आरोप

↳ 2 साल से अधिक सजा होनेपर पद से त्यागपत्र तथा अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध।

ii) चुनावों में धन के उपयोग पर नियंत्रण

↳ धन व्यय सीमा का निर्धारण → सीमा का उल्लंघन पर उम्मीदवारी रद्द।

iii) फेक-न्यूज, पेड-न्यूज तथा हेट स्पीच पर नियंत्रण आदि।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में प्रावधान किये जाने के बावजूद अभी भी राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा उपस्थित है।

- 2009 से 2019 तक संसद में अपराधियों की ~~वृद्धि~~ 103% वृद्धि हुई है।
- वर्तमान राज्यसभा ~~के~~ 71 सदस्यों पर अपराधों का आरोप है तथा 37 पर गंभीर अपराधों में संलिप्त रहने का आरोप है।

(कारण:-) i) ~~धनबल~~ अपराधियों के चुनाव जीतने की उम्मीद अधिक होती है।

- न्याय की मंद गति के कारण स्थानीय स्तर पर न्याय प्रदान करने तथा लोगों की मदद करने के कारण
- सामान्य जन इनकी आपराधिक वृत्ति से अवगत नहीं होते।

ii) राजनीतिक दलों चुनाव जीतने की आशा से अपराधियों को टिकट देना।

iii) चुनावों में धनबल, बाहुबल तथा खरीद-फरोख्त के कारण अपराधियों का अधिक प्रवेश।

iv) निर्वाचन आयोग पास सीमित अधिकार

→ पार्टी की मान्यता रद्द नही करसकता
→ दल-बदल का निर्णय नही ले सकता

v) अधीनस्थ न्यायालय तथा लंबित वादों के कारण विवादों का निर्णय देर से आना।

राजनीति में अच्छे तथा पढ़े-लिखे लोगों को आकर्षित करना चाहिए तथा चुनाव खर्चों में राजवित्त के प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए तथा राजनीतिक अपराधियों के विवादों के समाधान हेतु अलग से ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. It is time for reforms, which recognise that urban local bodies (ULBs) need permanent, buoyant revenue sources to match the growing demands of an increasing urban population. Discuss. **(250 words) 15**

यह सुधारों का समय है जो यह पहचान करता है कि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बढ़ती शहरी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्थायी, वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

74वें संविधान संशोधन, 1992 के माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची को स्थापित किया तथा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

शहरी स्थानीय निकायों को बढ़ती शहरी आबादी की माँगों को पूरा करने के लिए स्थायी, वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है :—

i) 2050 तक UN के अनुसार 50% भारतीय लोग शहरों में रहने लगेंगे।
   - → शहरी नियोजन हेतु वित्त की आवश्यकता
   - → आधारभूत अवसंरचना विकास
   - → मूल अपेक्षाओं की उपलब्धता

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ii) शहरी क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता।

iii) नियोजित विकास
- → झुग्गी झोपड़ियों पर नियंत्रण
- → जल स्रोतों का पुनरुद्धार
- → पर्यावरण संरक्षण।

शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के उपाय :-

i) वित्त आयोगों की सिफारिशों को राज्य सरकारों द्वारा मानना तथा पर्याप्त वित्त का हस्तांतरण।

ii) M-Bond (म्युनिसिपलिटी बॉन्ड) का उपयोग करना।

iii) संपत्ति कर लगाना

iv) करों का सुचारु संकलन।

v) स्थानीय लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना।

1839
VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वर्तमान में शहरी निकाय वित्त की कमी से जूझ रहे है तथा शहरों का पर्याप्त विकास सुनिश्चित नही हो पा रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाऐं → स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, 'हृदय' आदि को क्रियान्वित किया जाना चाहिए तथा नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के साथ 'स्मार्ट विलेज' की संकल्पना को सिद्ध किया जाना चाहिए ताकि प्रवासन को नियंत्रित किया जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The role of the civil society organisations (CSOs) in India is changing in contemporary times and has become increasingly more complex. Discuss.

(250 words) 15

समकालीन समय में भारत में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका बदल रही है और निरंतर अधिक जटिल होती जा रही है। चर्चा कीजिए।

किसी भी देश के विकास में नागरिक समाज संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इन्हें सरकार के एक पिल्लर की संज्ञा दी जाती है।

नागरिक समाजों का विकास में योगदान :-

i) जनता में जागरूकता बढ़ाना।

ii) स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना।

iii) वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- रोजगारों को बढ़ावा
- प्रशिक्षण
- MSMEs के विस्तार में सहायक।

iv) वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में सहायक।

v) पिछड़े तथा दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचकर सेवाएँ प्रदान करना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

वर्तमान में नागरिक समाजों द्वारा सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के कार्य करने के कारण अस्थिरता उत्पन्न हो रही है तथा तकनीकी के प्रसार ने इनकी भूमिकाओं को जटिल बना दिया है।

नागरिक समाजों से संबंधित मुद्दे:-

i) शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक सक्रिय

ii) कुछ पर अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप
- ग्रीनपीस, एमनेस्टी (जैसे राजनेतर संस्थाएँ)

iii) विकासात्मक परियोजनाओं का अवैध विरोध

इसलिए सिविल सोसाइटी संगठनों को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा FCRA ~~पर नियंत्रण~~ में सुधार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तथा अन्य गतिविधियों की निगरानी जैसे कदम उठाए गये है।

सिविल सोसायटियों को देश के विकास में योगदान के साथ वंचित वर्गों के हितों को साधने हेतु कार्य किए जाने को महत्व दिया जाना चाहिए तथा बदलते विश्व में भारत को एक उचित स्थान दिलाने हेतु प्रयास करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Though the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) aims to address the inequity in development in India, there are a number of issues which plague the scheme. Discuss. **(250 words) 15**
हालांकि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) का उद्देश्य भारत में विकास में असमता से निपटना है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस योजना को प्रभावित करते हैं। विवेचना कीजिए।

MPLADS योजना का शुभारंभ 1993 में हुआ यह सांख्यिकी एवं विकास मंत्रालय के तहत आता है। इसके तहत प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास हेतु एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।

i) इसके तहत सांसद अपने क्षेत्र में विकास हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को ~~संबंधित~~ सिफारिश कर सकता है।

ii) SC तथा ST समुदाय के विकास के लिए प्रबंध करवा सकता है।

iii) आपदाओं के दौरान फंड के उपयोग संबंधी सिफारिशे कर सकता है।

iv) आधारभूत अवसंरचना तथा विभिन्न घटकों पर ध्यान देने हेतु इसकी

स्थापना की गई थी ताकि विकास में उत्पन्न असमता को न्यून किया जा सके।

MPLADS से संबंधित मुद्दे :—

i) सांसदो द्वारा इसका प्रयोग ही नही किया जाता है।

ii) यह लैप्सेबल फंड है जिसका एक निश्चित ~~समयावधि~~ समयावधि में उपयोग किया जाना होता है।

iii) एक MP का क्षेत्र 2 या 3 तीन जिलों तक विस्तारित हो सकता है और ~~सभी~~ ~~सा~~, जिलों के DMs के साथ समन्वय स्थापित नही कर पाता।

iv) समावेशी उपयोग सुनिश्चित नही किया।

आगे की राह

i) MPLADS में उपलब्ध होने वाले

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

धन को खर्च करने हेतु MPs पर बाध्यता आरोपित करनी चाहिए।

ii) Fund को नॉन-लैप्सेबल बनाना।

iii) उचित खाका बनाकर समावेशी उपयोग सुनिश्चित करना।

iv) MPs तथा DMs के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु तंत्र की स्थापना।

MPLADS के माध्यम से स्थानीय क्षेत्रों का विकास करने हेतु स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Highlighting the factors responsible for the growth of EdTech sector in India in recent times, discuss its benefits. Also, state the concerns associated with it. **(250 words) 15**

हाल के दिनों में भारत में एडटेक क्षेत्रक के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए, इसके लाभों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इससे जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख कीजिए।

एडटेक से तात्पर्य है शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी का समायोजन। इसका कुल 750 मिलियन डॉलर है।

एडटेक क्षेत्रक के विकास के लिए उत्तरदायी कारण हैं —

i) Covid-19 के तहत स्कूल एवं कॉलेजों का बन्द होना।
↳ ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार

ii) इन्टरनेट की पहुँच का विस्तार।
↳ (Jio फाइबर क्रान्ति)

iii) इन्टरनेट शिक्षा तथा अवसंरचना विस्तार
↳ भारतनेट योजना।

iv) स्मार्ट क्लास की अवधारणा का प्रचलन

v) नए-नए कोर्सों का संचालन

→ MOOC के तहत स्वंय का संचालन

एडटेक क्षेत्र के विकास के लाभ :-

→ शिक्षा का दूरदराज के क्षेत्रों तक विस्तार।

→ घर बैठकर शिक्षा प्राप्त करना आसान।

→ शिक्षा की लागत में कमी।

→ VR तथा AR के माध्यम से किसी भी विषय को समझाना आसान।

→ विश्वस्तरीय शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करना आसान।

एडटेक से जुड़ी चिन्ताएं :-

i) शिक्षा का व्यवसायीकरण

ii) बच्चों के बहुमुखी विकास में बाधा।
↳ sports culture तथा Leadership के गुण विकसित करना मुश्किल।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iii) अपनी उम्र के बच्चों से नहीं मिलने पर समाज को लेकर भय उत्पन्न होना।

iv) आधारभूत अवसंरचना अभाव।
↳ ग्रामीण क्षेत्रों में 29% लोगो तक ही स्मार्टफोन की पहुँच

v) इसके अमीर तथा गरीब के मध्य खाई का निर्माण होगा।

vi) शिक्षा के बहाने इंटरनेट का दुरुपयोग
↳ गेमिंग डिसऑर्डर
↳ पोर्नोग्राफी
↳ हिंसात्मकता आदि।

बच्चों का संपूर्ण विकास विद्यालयों के माध्यम से ही सुनिश्चित करना संभव है इसलिए विद्यालयों को स्मार्ट बनाया जाना चाहिए तथा ऑनलाइन शिक्षा को वैकल्पिक तथा कुछ विषयों हेतु बनाया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Bring out the role of Accredited Social Health Activist (ASHA) workers in delivering health services in rural India. Also, suggest the measures that can be taken to overcome the challenges faced by them. **(250 words) 15**

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करने के उपाय भी सुझाइए।

भारत में 1974 में गठित ICDS के माध्यम से आशा कार्यकर्ताएँ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका:-

i) किशोरियों तथा गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना तथा ICDS के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन।

ii) बच्चों के स्वास्थ्य तथा प्री-स्कूली शिक्षा का ध्यान रखना।

iii) समय पर टीकाकरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन।

↳ छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के पिछड़े एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित हो सकी है।

iv) COVID-19 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी तथा अपने-अपने क्षेत्रों का नियोजन।

v) महिलाओं को संस्थागत प्रसव तथा गर्भनिरोधकों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।

vi) आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका के कारण ही भारत का IMR→28 तथा MMR→103 तक आ पहुँचा है।

आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ :—

i) ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग का अभाव।

ii) कम वेतन तथा आधारभूत अवसंरचना का अभाव

iii) डिजिटल साक्षरता का अभाव

iv) कोविड के दौरान हमले।

v) पिछड़े तथा नक्सल क्षेत्रों में जान को खतरा।

आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को दूर करने हेतु उपाय:-

i) प्रशिक्षण प्रदान करना।

ii) डिजिटलीकरण → रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन रखना
↳ हाल में नभी आशा कार्यकर्ताओं को टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है।

iii) आँगनवाड़ी केन्द्रों का पुनरुद्धार

iv) वेतन में वृद्धि।

आशा कार्यकर्ताएँ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का प्रसार करने तथा रोगों के रोकथाम तथा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Discuss the various concerns that have arisen for India after the Taliban takeover of Afghanistan. Also, suggest the measures that India should take in the given context. **(250 words) 15**

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद भारत के लिए उत्पन्न विभिन्न चिंताओं की विवेचना कीजिए। साथ ही, उन उपायों का सुझाव दीजिए जो इस संदर्भ में भारत द्वारा अपनाए जाने चाहिए।

अगस्त 2021 में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से प्रस्थान करने के पश्चात, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया।

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण से भारत के लिए उत्पन्न चिन्ताएँ :—

i) भारत अफगान में मजबूत तथा सभी समूहों के प्रतिनिधित्व वाली लोकतंत्रात्मक सरकार का पक्षधर रहा है [Afgan Lead, Afghan owned and Afghan Controlled]

↳ तालिबान के नियंत्रण से चरमपंथी तथा आतंकवादी ताकतों का उभार → कश्मीर में सुरक्षा का मुद्दा।

ii) भारत द्वारा अफगानिस्तान में निवेश किया गया है जिस पर खतरा।
- 3 बिलियन डॉलर का निवेश
- सलमा बाँध का निर्माण
- जरांज - डेलाराम मार्ग का निर्माण
- संसद भवन का निर्माण।

iii) मध्य एशिया तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न होना।
- INSTC के क्रियान्वयन में बाधा।
- TAPI में बाधा।

iv) तालिबान पर पाकिस्तान तथा चीन के प्रभाव के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा।
- सीमापार आतंकवाद में वृद्धि
- मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि।

समस्याओं के समाधान हेतु भारत द्वारा अपनाऐ जाने वाले उपाय :-

i) अफगान पीस प्रोसेस में भाग लेना तथा पड़ोसी देशों के साथ मिलकर विवाद का समाधान।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ii) भारत द्वारा तालिबान के साथ Informal line of communication स्थापित किया गया था।
↳ इसे मजबूती प्रदान करना तथा प्रत्यक्ष संबंधों का बढ़ावा।

iii) दीर्घकालीन हितों को साधनों हेतु अफगान में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों को महत्व प्रदान करना तथा सहायता उपलब्ध कराना।

हाल में भारत द्वारा अफगानी तालिबान सरकार से वार्ता की गई है तथा अफगानी सैनिकों को प्रशिक्षण तथा अफगानिस्तान में खाद्यान्न भेजना एवं निवेश पर सहमति बनी है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Bangladesh is not only a key part of India's "Neighbourhood First policy" but also crucial for the "Act East policy". In this context, discuss the steps taken by the two countries to strengthen their relationship.

(250 words) 15

बांग्लादेश न केवल भारत की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए।

भारत द्वारा 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' के साथ 'एक्ट ईस्ट' तथा 'लुक वेस्ट' पद्धति को अपनाया है ताकि दक्षिण एशिया में मजबूत संबंधों का विकास कर समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व :-

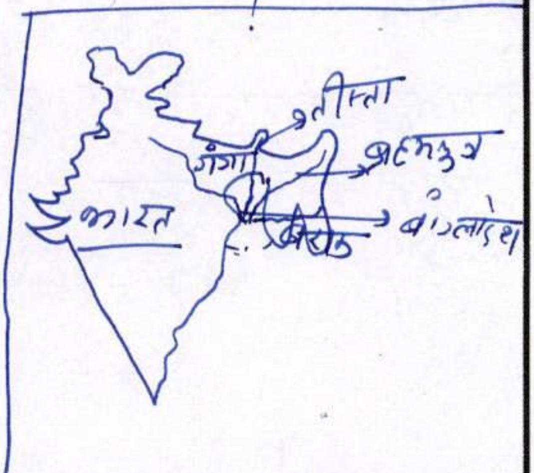

i) पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक पहुँच के लिए।
- → BBIN
- → जलमार्ग

ii) SAARC तथा BIMSTEC का सक्रिय सदस्य

iii) पूर्वी एशिया तक पहुँच के लिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करना

↳ अलगाववादी गुटो पर नियंत्रण

↳ अवैध प्रवासियों पर नियंत्रण।

v) रोहिंग्या प्रवासियों के विवाद का समाधान।

vi) भारत की बांग्लादेश में सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी है।

vii) सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती तथा क्षेत्र में शांति एवं पर्यटन के साथ व्यापार को बढ़ाना।

दोनों देशों द्वारा संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम :-

i) साथ मिलकर युद्धाभ्यास करना

↳ संप्रीति ↳ आपदाओं के समय सहयोग (SAARC के सेटेलाइट

ii) परमाणु ऊर्जा पर सहयोग

↳ रूपपुर परमाणु संयंत्र

↳ (भारत तथा रूस का सहयोग)

iii) बॉर्डर पर चौकियों की स्थापना तथा साझा पेट्रोलिंग

↳ उग्रवादी गुटों का सफाया करने में सहायता

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) SAARC तथा BIMSTEC में सहयोग

v) BBIN तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु चटगाँव तथा मोंगला पत्तन तक पहुँच।

vi) द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना।

vii) एन्क्लेव का आदान-प्रदान (100 वाँ संविधान संशोधन)

यद्यपि भारत तथा बांग्लादेश के संबंधों में मजबूती आई है किन्तु अभी अवैध शरणार्थियों तथा तीस्ता जलविवाद का मुद्दा उलझा हुआ है जिसे सुलझाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।